




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 178]
No. 178]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 28, 2000/चैत्र 8, 1922
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 28, 2000/CHAITRA 8, 1922

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2000

सा.का.नि. 262(अ).—केन्द्रीय सरकार, नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटरी (दूसरा संशोधन) नियम, 2000 है।
2. नोटरी नियम, 1956 के,—
(क) नियम 8 के उपनियम (4) में "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पाँच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।
(ख) नियम 8क में "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पाँच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 5(15)/94-एन सी]

कृष्णा कुमार, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

टिप्पण:—मूल नियम का. नि. आ. 324 तारीख 14-2-1956 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और तत्पश्चात् सा. का. नि. 870(अ) तारीख 8-7-97 और सा. का. नि. 17 (अ), तारीख 5 जनवरी, 2000 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY
AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2000

G.S.R. 262(E).—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following Rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely:—

1. These Rules may be called the Notaries (Second Amendment) Rules, 2000.

2. In the Notaries Rules, 1956,—

(a) in rule 8, in sub-rule (4), for the words "three years", the words "five years" shall be substituted;

(b) in rule 8A, for the words "three years", the words "five years" shall be substituted.

[F. No. 5 (15)/94-NC]

KRISHNA KUMAR, Jt. Secy. & Legal Adviser

Note:—The Principal Rules, were notified vide S.R.O. 324, dated 14-2-1956 and subsequently amended by GSR 870 (E) dated 8-7-1997 and G.S.R. 17 (E) dated 5th January, 2000.

